

ग्रामीण सेवा शिविर – 2025, ग्राम पंचायत : 4. J.S.D.....

फार्म नं.- III

फर्ड अहकाम

(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीविजयनगर

इ.रा.ज......

बनाम

सरकार


अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

नम्बर 427 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025 / 5.38.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
<u>09/10/25</u>	<p>प्रार्थी की ओर से शिविर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का / भूअ.नि. / नायब तहसीलदार / तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा दुरुस्ती किए जाने की अनुशंसा की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक <u>I.M.S.D.A</u>..... खाता सं. <u>434459</u> में <u>नकसाचर 5% में नपाल</u>.....</p> <p>के स्थान पर <u>इ.रा.ज. 5% में नपाल</u>.....</p> <p>.....की दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की तहरीर पृथक से जारी हो।</p> <p>निर्णय मजमा-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दपतर हो।</p>	



  
शकुन्तला  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीविजयनगर

